

श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2012 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न विकास समन्वय समिति के मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा पंजी।

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखंडों में संचालित विकासपरक योजनाओं की प्राथमिकता को देखते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने विभागीय कार्यों के अगले दो माह की कार्य योजना तैयार करें। साथ ही आश्वस्त किया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों की परेशानियों के मद्देनजर प्रखंडवार कनीय/सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति आदेश यथाशीघ्र निर्गत कर दिया जाएगा जिसके उपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन ससमय करा लें।

यह विदित है कि दिनांक 30.04.2012 तक जिले में कार्यान्वित MLC/MLA Schemes समाप्त किये जाने का निदेश विभाग से प्रदत्त है। इस निमित्त यह आवश्यक हो जाता है कि यदि कोई कनीय अभियंता उक्त योजना से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो स्थानान्तरण आदेश के उपरान्त नवप्रतिनियुक्त कनीय अभियंता को MB बुक कर समर्पित कर देंगे। यह विशेष ध्यान दिया जाय कि किसी भी परिस्थिति में दिनांक 25.04.12 तक नवप्रतिनियुक्त स्थान पर कनीय अभियंता अपना प्रभार ग्रहण कर लेंगे।

कब्रिस्तान घेराबन्दी :-

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी कब्रिस्तान घेराबन्दी की सूची के अनुसार उक्त योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 15.04.12 तक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखा जाय कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के कार्यकारी एजेन्सी प्रखंड विकास पदाधिकारी ही होंगे।

सामाजिक सुरक्षा :-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु सरकार ने यह निदेश दिया है कि दिनांक 01.05.12 के बाद पेंशन का भुगतान प्रखंड के माध्यम से ही होगा न कि डाकघर के माध्यम से। अतः इसके लिए प्रखंडवार तीन-तीन माह का शिविर लगाकर पेंशन राशि का वितरण करना है। उपरोक्त कार्य के पूर्व प्रखंडवार सभी पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन आवश्यक हो जाता है। इस निमित्त निदेश दिया गया कि सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा पंचायतवार सभी पेंशनधारियों की सूची उपलब्ध करायी जा रही है जिसका शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन इस माह में अवश्य कर लिया जाय।

कल्याण :-

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि सदर ग्रामीण में छात्रवृत्ति की राशि वितरण हेतु शेष है। निदेश दिया गया कि अप्रैल माह के अंत तक निश्चित रूप से शेष राशि का वितरण कर प्रतिवेदित करें।

उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कल्याणकारी योजनाओं, यथा- कबीर अन्त्येष्टि/कन्या विवाह योजना/कन्या सुरक्षा योजना का समय-समय पर अनुश्रवण करते रहेंगे एवं माहवार समेकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

योजना :-

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा० अभि० विभाग, मुंगेर को निदेश दिया गया कि बी०एस०एन०एल० के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर से सम्पर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित करायेंगे कि जमालपुर एवं मुंगेर शहरी जलापूर्ति योजना के कार्य के दौरान संचार तारों एवं पथों को नुकसान न हो।

अन्यान्य :-

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर आगामी बैठक के पूर्व संबंधित विभाग को अल्पसंख्यक छात्रावास हस्तगत करा दें। तदुपरान्त कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभि० प्रमंडल, मुंगेर उक्त छात्रावास में पेयजल की सुविधा हेतु बोरिंग का कार्य पूर्ण करा सके।
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर के इस आश्वासन पर कि म्यूजियम का कार्य अप्रैल माह में पूर्ण करा लिया जाएगा, के पूर्व श्री राजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर संबंधित विभाग को इस आशय की सूचना हेतु पत्राचार करें कि उक्त भवन पूर्ण होने की स्थिति में है, अतः म्यूजियम के उपयोगी सामग्रियों को यथाशीघ्र अधिष्ठापित कराने की कार्रवाई की जाय।
- मनरेगा योजनान्तर्गत सभी प्रखंड इस वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई योजना शामिल नहीं करेंगे जिसमें 85 प्रतिशत से कम wage component हो।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन करेंगे एवं प्राप्त आवेदनों को समेकित कर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय में संधारित करेंगे। जिला मुख्यालय

से भेजे गये वैसे आवेदनों पर यथाशीघ्र जांच कर प्रतिवेदित करेंगे जो पंचायत सचिव/कार्यालय कर्मियों के विरुद्ध समर्पित किये गये हों।

प्रतिवेदन के समीक्षोपरानत यह पाया जाना काफी खेदजनक है कि जिले में लगभग 1,48,000 जॉब कार्डधारी है, परन्तु कान सिर्फ 18,000 को दिया गया है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/04/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....91...../विकास, दिनांक.....02/05/12.....

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर/ निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिल शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/04/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....91...../विकास, दिनांक.....02/05/12.....

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

30/04/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।